राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–5)विभाग

कमांक:प.1(10)साप्र/5/2009 पार्ट   जयपुर, दिनांक: 5-7-11

आदेश

राजकीय सर्किट हाउस मैन्यूअल के अध्याय–1 पात्रता एवं चार्जेज के अनु.10 पर उल्लेखित अनुसार राजस्थान राज्य के, राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं समस्त जिला उपभोक्ता मंचों के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्य राजकीय कार्य से यात्रा करने पर एक बार में 7 दिवस तथा माह विशेष में 10 दिवस, स्थान विशेष पर अन्य कोई नियमित राजकीय आवास धारक नहीं होने, स्थान विशेष पर मुख्यालय नहीं होने तथा स्थानीय निवासी नहीं होने की शर्तो के अध्यधीन प्रवास हेतु अधिकृत किया गया था ।

वर्तमान में यह देखा गया है कि इन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण किया जा रहा है जबकि मैन्यूअल के नियमों के अनुसार मनोनीत अध्यक्ष/सदस्यों को अवकाश/स्थानान्तरण एवं सेवानिवृति पश्चात् प्रवास की सुविधा प्रदान नहीं की गई है । यद्यपि न्यायिक सेवा के अधिकारियों को नियमानुसार यह सुविधा प्रदत है ।

अतः स्पष्ट किया जाता है कि जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष को विश्राम भवनों में स्थानान्तरण अथवा 7 दिन से अधिक अवधि तक आवास पात्रता दिया जाना संभव नहीं है । मैन्यूअल में पात्रता को इस स्तर तक संशोधित माना जावें । यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप सचिव,(वीपी) मुख्यमंत्री कार्यालय ।
2. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ।
3. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस, नई दिल्ली ।
4. समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान ।
5. रक्षित पत्रावली ।